

क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम: जननी सुरक्षा योजना

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): प्रशासनिक व्यय

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): A.1.4.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : मातृ स्वास्थ्य हेतु किए जा रहे विभिन्न गतिविधियों, कार्यक्रमों की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जाना है । इस हेतु क्षेत्र भ्रमण, लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन तथा Micro Birth Plan की उपलब्धता एवं अनुपालन वांछनीय है । तथा अन्य गतिविधियों से संबंधित भी इसका निर्देश निर्गत किए गए हैं इसका उपयोग इस मद से किया जाएगा ।

इकाई राशि (रु० में) :

वित्तीय दिशा निर्देश : इसके तहत निम्न गतिविधियां की जा सकती है ।

- 1 मातृ स्वास्थ्य हेतु मुद्रण एवं क्रय (Micro Birth Plan For ASHA, MCH Protection Card, Partograph & any other printing and Purchasing of Digital camera, Biometric machine, Hard disc etc. which is relevant to implementation & promotion of programme.)
- 2 जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रा०स्वा०के० तक अनुश्रवण हेतु POL/ Hiring Vehicle हेतु
- 3 लाभार्थी के भौतिक सत्यापन हेतु क्षेत्र भ्रमण के लिए (POL/ Hiring Vehicle)
- 4 डाटा मैनेजमेन्ट हेतु (May Hire Data entry operator for computerizing data, data operator may be hired on the basis of number of entry. Rate may be decided by DHS locally.)
- 5 भारत एवं राज्य स्तर से कार्यक्रम की समीक्षा/क्षेत्र भ्रमण आदि हेतु आए पदाधिकारियों/सलाहकारों की Logistic Arrangement आदि की व्यवस्था की जा सकती है ।

इस मद से व्यय करने का निर्णय मेडिकल कॉलेज, सदर/अनुमंडलीय/रेफरल अस्पतालों में Quality Improvement Committee करेगी एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में रोगी कल्याण समिति करेगी, जिसका व्यय संबंधित अस्पताल के अस्पताल प्रबंधक या स्वास्थ्य प्रबंधक अपने वित्तीय अधिकार के अनुसार करेंगे ।

- जिला स्वास्थ्य समिति वैसे सभी स्वास्थ्य संस्थानों को पैसा निर्गत करेगी जहाँ पर प्रसव कार्य सम्पन्न हो रहा है । चूंकि इस वर्ष 50 से अधिक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसव कार्य प्रारंभ हो गया है । इसलिए संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों को भी राशि आवंटित किया जाएगा । उस स्वास्थ्य संस्थानों के ए.एन. एम. अपने आवश्यकतानुसार व्यय करेंगी तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उस संस्थान के चिकित्सा पदाधिकारी व्यय करेंगे । ए.एन.एम. जिस प्रकार अन्टाइड फण्डों के लेखा-जोखा का संधारण करती है ठीक उसी प्रकार इस मद के अंतर्गत किए गए व्यय का भी संधारण करेंगी और इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित स्वास्थ्य केन्द्र को प्रस्तुत करेंगे ।
6. उक्त दिशा निर्देश प्रमण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के लिए भी लागू है । एवं VHSC/VHND से संबंधित गतिविधियों में उल्लेखित कार्यक्रमों को भी किया जा सकता है ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : गौरव कुमार, उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9431005972,

Skumar

Law

R